

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 276] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 17, 1973/कार्तिक 26, 1893
No. 276] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 17, 1973 KARTIKA 26, 1893

इस भाग में भिन्न वृष्ट संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

IMPORT TRADE CONTROL

SUBJECT.—Import Policy for Registered Exporters for the period April 1973—March 1974—Export of zinc oxide (Amendment No. 58).

No. 195-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the import policy for registered exporters for 1973-74 as contained in the Red Book (Volume—II), published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 46-ITC(PN)/73 dated 2nd April, 1973.

2. In accordance with the said policy, against the export of Zinc oxide (S. No. B. 31.14), import replenishment is allowed at 75 per cent of the f.o.b. value of exports, for the import of zinc.

3. It has been decided that, under the aforesaid policy, the import of zinc will be allowed only against applications for advance licences made under para 74 of Part 'E', Section I of the Red Book (Vol. II) for April 1973—March, 1974. No imports will be allowed against applications made after the export of zinc oxide has taken place. Applications for import of zinc under this policy will be considered only in cases where the f.o.b. value of zinc oxide to be exported is at least 25 per cent higher than the c.i.f. value of zinc to be imported. The c.i.f. value for this purpose will be calculated on the basis of the ruling MMTC's price. Applications for advance licences for import of zinc should be made to the Chief

Controller of Imports and Exports, New Delhi and accompanied by the following information:—

- (i) Quantity of zinc oxide to be exported and its f.o.b. value.
- (ii) Quantity of zinc to be imported and its c.i.f. value at the ruling MMTC price.

4. It has also been decided that exports of zinc oxide shall not be permitted even in those cases in which indigenous zinc is used, unless the f.o.b. value of zinc oxide to be exported is at least 25 per cent higher than the value of indigenous zinc used therein, calculated at the rate of MMTC's ruling c.i.f. price of imported zinc. The intending exporters should, therefore, obtain prior permission from the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi for exports.

5. The provisions of this Public Notice will apply to exports of zinc oxide to be made on or after 18th November, 1973.

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1973

विषय :—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 59)

संख्या 195-आई० सी०सी० (पी०एन)/73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 46 आई टी सी (पीएन) / 73 दिनांक 2-4-73 के अन्तर्गत अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए जारी जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैडबुक के वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उक्त नीति के अनुसार, जिक्र आक्साइड (क्रम संख्या बी-31-14), के मद्दे जिक्र के आयात के लिए निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 75 प्रतिशत पर आयात प्रतिपूर्ति की स्वीकृति है।

3. यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त नीति के अन्तर्गत जिक्र के आयात की स्वीकृति केवल अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 के लिए रैडबुक (वा० 2) के भाग ई: खण्ड 1 की कंडिका 74 के अन्तर्गत दिए गए अग्रिम साइमेंसों के लिए आवेदन-पत्रों के मद्दे ही बी जाएगी। जिक्र आक्साइड का निर्यात कर लिये जाने के बाद किए गए आवेदनों पर आयात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इस नीति के अन्तर्गत जिक्र के आयात के लिए आवेदन-पत्रों पर केवल उन्हीं मामलों में विचार किया जाएगा जहां निर्यातित जिक्र आक्साइड का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य आयात किए जाने वाले जिक्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य से कम से कम 25 प्रतिशत ज्यादा है। इसके लिए लागत बीमा भाड़ा मूल्य का परिकलन खनिज तथा धातु व्यापार निगम की लागू कीमत के आधार पर

किया जाएगा। जिक के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजे जाने चाहिए और उसके साथ निम्नलिखित सूचनाएं होनी चाहिए :—

- (i) निर्यात किए जाने वाले जिक आक्साइड की मात्रा और इसका जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य।
- (ii) आयात किए जाने वाले जिक की मात्रा और खनिज तथा धातु व्यापार-निगम की लागू कीमत पर इसका बीमा भाड़ा मूल्य।

4. यह भी निश्चय किया गया है कि जिक आक्साइड के निर्यात की स्वीकृति यहां तक कि देशी जिक का उपयोग करने वाले मामले में भी तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि निर्यात किए जाने वाले जिक आक्साइड का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य आयातित जिक की खनिज तथा धातु व्यापार निगम की लागू लागत बीमा भाड़ा कीमत की दर में परिकलित उसमें उपयोग किए गए देशी जिक के मूल्य से कम-से-कम 25 प्रतिशत ज्यादा है। इसलिए, इच्छुक निर्यातकों को चाहिए कि वे निर्यातों के लिए मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात, नई दिल्ली—से पूर्व अनुमति ले लें।

5. इस सार्वजनिक सूचना की व्यवस्थाएं 18-11-73 को या उसके बाद जिक आक्साइड के लिए गए निर्यातों के सम्बन्ध में लागू होंगी।

एस० जी० बोंस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

